

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 140/2024

केदार प्रसाद वर्मा

—अपीलार्थी

## बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) (माध्यमिक), दौसा।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बूटोली, दौसा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.01.2024

आदेश की दिनांक :

## उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य  
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.01.2013 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अध्यापक ग्रेड-II के पद पर हुई थी। जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.03.2013 को कार्यभार ग्रहण कर लिया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.07.2015 (अनुलग्नक-3) के द्वारा 02 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्थाई किया जाकर अपीलार्थी का स्थानान्तरण नेगद, हिण्डौली, बूंदी से तितरवाड़ा कलां, दौसा में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.08.2017 (अनुलग्नक-4) के द्वारा वर्ष 2017-18 की रिक्ति के विरुद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया। परन्तु प्रधानाध्यापक द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल

रिट पिटीशन संख्या 15330/2017 दायर की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 06.09.2017 (अनुलग्नक-5) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 को निर्देश दिए कि अपीलार्थी को तत्काल कार्यमुक्त करें, जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थी संख्या 1 के आदेश दिनांक 09.10.2017 (अनुलग्नक-6) के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 को निर्देश दिए कि अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.09.2017 की पालना में कार्यमुक्त कर अवगत करावें। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.01.2024 (अनुलग्नक-1) के द्वारा व्याख्याता स्कूल शिक्षा पद की विभिन्न विषयों की आयोजित पुनरावलोकन (रिव्यू) बैठक दिनांक 01.12.2022 एवं 21.12.2022 के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर अपीलार्थी को दिनांक 20.07.2015 को कोटा से जयपुर मण्डल में अन्तरमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप वरिष्ठता प्रभावित होने के कारण अपीलार्थी का वर्ष 2017-18 की रिक्ति के विरुद्ध व्याख्याता के पद पर दी गई पदोन्नति को निरस्त कर दिया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उपरोक्त कार्यवाही अपीलार्थी सुनवाई का मौका दिए बिना की गई है, जो कि न्यायिक सिद्धान्त के विरुद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.01.2024 को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निरन्तर व्याख्याता के पद पर कार्य करने दिया जाकर समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपील का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा कोटा संभाग कोटा के आदेश दिनांक 02.01.2013 के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर प्रदान की गई जिसमें अपीलार्थी को कोटा संभाग के बूंदी जिले में पदस्थापित किया गया। वरिष्ठ अध्यापक का पद संभाग स्तरीय पद है, विभाग द्वारा मण्डल स्तर पर वरिष्ठ अध्यापक पद की अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी कर आपत्तियां स्तर की स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। इसके उपरांत विभाग द्वारा राज्य के सभी मण्डलों की स्थाई वरिष्ठता सूचियों को मिश्रित किया जाकर राज्य स्तरीय मिश्रित अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाकर आपत्तियों आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त आपत्तियों के निराकरण उपरांत निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के स्तर पर राज्य स्तरीय मिश्रित स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। अपीलार्थी को कोटा संभाग में वर्ष 2012-13 में प्रदान की गई

नियुक्ति के आधार पर पूर्व में राज्य स्तरीय अस्थाई मिश्रित वरिष्ठता सूची में क्रमांक 6493 (2012–2013) पर दर्ज किया गया तथा उक्त वरिष्ठता सूची के क्रम में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने के उपरांत अपीलार्थी का नाम मिश्रित राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में क्रमांक 6577 (2012–2013) पर दर्ज किया गया। अपीलार्थी को कोटा संभाग से जयपुर संभाग में स्वैच्छिक अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक जयपुर संभाग जयपुर आदेश दिनांक 17.07.2015 के द्वारा दौसा जिले में किया गया, वर्णित आदेश अपीलार्थी द्वारा अपील के प्रदर्श-3 पर प्रस्तुत किया गया है, उक्त स्थानान्तरण पूर्णतया स्वैच्छिक था जो कि उक्त आदेश से भी पूर्णतया स्पष्ट है, अपीलार्थी कार्मिक को उक्त आदेश के द्वारा योगकाल एवं यात्राभत्ता अनुज्ञात नहीं किया गया जो इस तथ्य को पूर्णतया स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण स्वैच्छिक था। अपीलार्थी कार्मिक को कोटा संभाग में नियुक्ति के आधार पर अर्जित की गई वरिष्ठता के आधार पर वर्ष 2017–2018 की रिक्तियों के प्रति पात्रता के आधार पर स्थाई मिश्रित वरिष्ठता क्रमांक 6577 (2012–13) प्रदर्शित करते हुए व्याख्याता भूगोल के पद पर आदेश दिनांक 26.08.2017 के द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई। उक्त आदेश में स्पष्ट अंकित किया गया था कि “इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लें कि जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदोन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात् उस कार्मिक की अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप वरिष्ठता पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नहीं हुई हो। यदि अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति आने पर ऐसे कार्मिक को इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जाएगा।” अपीलार्थी कार्मिक वर्ष 2012–13 के उपरांत वर्ष 2015 में स्वैच्छिक अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यमुक्ति का पात्र नहीं था तथा अपीलार्थी के संस्था प्रधान द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति पर कार्यमुक्त नहीं करते हुए विभाग से आवश्यक निर्देश चाहने पर अपीलार्थी कार्मिक द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 15330/2017 प्रस्तुत कर कार्यमुक्ति के संबंध में अनुतोष चाहा गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका में वर्णित तथ्यों के आधार पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एक पक्षीय अन्तरिम आदेश दिनांक

06.09.2017 पारित करते हुए अपीलार्थी को कार्यमुक्त किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश से पूर्णतया स्पष्ट है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष पदोन्नति आदेश दिनांक 26.08.2017 की वर्णित शर्त "पदोन्नत कार्मिक को दिनांक 07.09.2017 तक पदोन्नत स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना होगा" को ही प्रथम दृष्टया उल्लेखित/वर्णित किया गया साथ ही यह भी वर्णित किया जाना उचित होगा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त याचिका वर्तमान में भी लम्बित है, ऐसी स्थिति में उक्त विवाद से संबंधित अपील माननीय अधिकरण के समक्ष प्रथम दृष्टया ही Res Judicata के विधिक सिद्धान्त के आधार पर पोषणीय नहीं है। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के समक्ष THE RAJASTHAN EDUCATIONAL SUBORDINATE SERVICE RULES, 1971 के नियम 29(10) को वर्णित किया जाना भी प्रासंगिक होगा। उक्त नियम से स्वतः स्पष्ट है कि वरिष्ठ अध्यापक के स्वैच्छिक स्थानान्तरण की स्थिति में नवीन [मण्डल/जिले](#) में कार्यग्रहण के अनुसार वरिष्ठता का नवीन निर्धारण किया जावेगा साथ ही पूर्व अर्जित वरिष्ठता स्वतः विलोपित होगी। इस प्रकार अपीलार्थी कार्मिक वर्ष 2012-13 में कोटा मण्डल में अर्जित वरिष्ठता का हकदार नहीं है एवं नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश दिनांक 30.11.2021 के द्वारा वर्ष 2012-13 की वरिष्ठता को विलोपित किया गया एवं वर्ष 2012-13 की वरिष्ठता को विलोपित कर दिये जाने के फलस्वरूप याचिकार्थी का वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के प्रति किया गया पूर्व चयन रिव्यू डीपीसी की बैठक के प्रस्तावानुसार आलोच्य आदेश दिनांक 08.01.2024 के निरस्त किया गया। प्रत्यर्थागण द्वारा समस्त कार्यवाही पूर्णतया नियमानुसार संपादित की गई है, जिस पर अपीलार्थी कार्मिक माननीय अधिकरण से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
5. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा कोटा संभाग कोटा के आदेश दिनांक 02.01.2013 के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कोटा संभाग के बूंदी जिले में पदस्थापित किया गया। वरिष्ठ अध्यापक का

पद संभाग स्तरीय पद है, विभाग द्वारा मण्डल स्तर पर वरिष्ठ अध्यापक पद की अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी कर आपत्तियां स्तर की स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। इसके उपरांत विभाग द्वारा राज्य के सभी मण्डलों की स्थाई वरिष्ठता सूचियों को मिश्रित किया जाकर राज्य स्तरीय मिश्रित अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाकर आपत्तियों आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त आपत्तियों के निराकरण उपरांत निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के स्तर पर राज्य स्तरीय मिश्रित स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। अपीलार्थी को कोटा संभाग में वर्ष 2012-13 में प्रदान की गई नियुक्ति के आधार पर पूर्व में राज्य स्तरीय अस्थाई मिश्रित वरिष्ठता सूची में क्रमांक 6493 (2012-2013) पर दर्ज किया गया तथा उक्त वरिष्ठता सूची के क्रम में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने के उपरांत अपीलार्थी का नाम मिश्रित राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में क्रमांक 6577 (2012-2013) पर दर्ज किया गया। अपीलार्थी को कोटा संभाग से जयपुर संभाग में स्वैच्छिक अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक जयपुर संभाग जयपुर आदेश दिनांक 17.07.2015 के द्वारा दौसा जिले में किया गया, उक्त स्थानान्तरण पूर्णतया स्वैच्छिक था जो कि उक्त आदेश से भी पूर्णतया स्पष्ट है, अपीलार्थी कार्मिक को उक्त आदेश के द्वारा योगकाल एवं यात्राभत्ता अनुज्ञात नहीं किया गया जो इस तथ्य को पूर्णतया स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण स्वैच्छिक था। अपीलार्थी कार्मिक को कोटा संभाग में नियुक्ति के आधार पर अर्जित की गई वरिष्ठता के आधार पर वर्ष 2017-2018 की रिक्तियों के प्रति पात्रता के आधार पर स्थाई मिश्रित वरिष्ठता क्रमांक 6577 (2012-13) प्रदर्शित करते हुए व्याख्याता भूगोल के पद पर आदेश दिनांक 26.08.2017 के द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई। उक्त आदेश में स्पष्ट अंकित किया गया था कि "इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लेवें कि जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदोन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात् उस कार्मिक की अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप वरिष्ठता पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नहीं हुई हो। यदि अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति आने पर ऐसे कार्मिक को इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जाएगा।" अपीलार्थी कार्मिक वर्ष 2012-13 के उपरांत वर्ष

2015 में स्वैच्छिक अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यमुक्ति का पात्र नहीं था तथा अपीलार्थी के संस्था प्रधान द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति पर कार्यमुक्त नहीं करते हुए विभाग से आवश्यक निर्देश चाहने पर अपीलार्थी कार्मिक द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 15330/2017 प्रस्तुत कर कार्यमुक्ति के संबंध में अनुतोष चाहा गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका में वर्णित तथ्यों के आधार पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एक पक्षीय अन्तरिम आदेश दिनांक 06.09.2017 पारित करते हुए अपीलार्थी को कार्यमुक्त किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश से पूर्णतया स्पष्ट है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष पदोन्नति आदेश दिनांक 26.08.2017 की वर्णित शर्त “पदोन्नत कार्मिक को दिनांक 07.09.2017 तक पदोन्नत स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना होगा” को ही प्रथम दृष्टया उल्लेखित/वर्णित किया गया साथ ही यह भी वर्णित किया जाना उचित होगा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त याचिका वर्तमान में भी लम्बित है, ऐसी स्थिति में उक्त विवाद से संबंधित अपील माननीय अधिकरण के समक्ष प्रथम दृष्टया ही Res Judicata के विधिक सिद्धान्त के आधार पर पोषणीय नहीं है। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के समक्ष THE RAJASTHAN EDUCATIONAL SUBORDINATE SERVICE RULES, 1971 के नियम 29(10) को वर्णित किया जाना भी प्रासंगिक होगा। उक्त नियम से स्वतः स्पष्ट है कि वरिष्ठ अध्यापक के स्वैच्छिक स्थानान्तरण की स्थिति में नवीन [मण्डल/जिले](#) में कार्यग्रहण के अनुसार वरिष्ठता का नवीन निर्धारण किया जावेगा साथ ही पूर्व अर्जित वरिष्ठता स्वतः विलोपित होगी। इस प्रकार अपीलार्थी कार्मिक वर्ष 2012-13 में कोटा मण्डल में अर्जित वरिष्ठता का हकदार नहीं है एवं नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश दिनांक 30.11.2021 के द्वारा वर्ष 2012-13 की वरिष्ठता को विलोपित किया गया एवं वर्ष 2012-13 की वरिष्ठता को विलोपित कर दिये जाने के फलस्वरूप याचिकार्थी का वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध चयन किया गया। पूर्व चयन रिव्यू डीपीसी की बैठक के प्रस्तावानुसार आलोच्य आदेश दिनांक 08.01.2024 के निरस्त किया गया। प्रत्यर्थागण द्वारा समस्त कार्यवाही पूर्णतया नियमानुसार संपादित की गई है, जिस पर अपीलार्थी माननीय अधिकरण से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने

का अधिकारी नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

6. आदेश आज दिनांक ..... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)  
सदस्य